(ङ) क्या इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका को भी निश्चित किया गया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री विलास बाबूराव मुत्तेमवार): (क) से (ग) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (2) जवाहर रोजगार योजना, (3) सुनिश्चित रोजगार योजनाएं हैं। सुनिश्चित रोजगार योजना जो कि मजदूरी रोजगार योजना है के अंतर्गत पात्र व्यक्ति जिन्हें काम की आवश्यकता है और जो रोजगार चाहते हैं, वे अपने नाम ग्राम पंचायतों में लिखवा सकते हैं। योजना के आरंभ होने से लेकर अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1.8 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत अपना नाम पंजीकृत करवाया है। यह योजना देश के 2475 खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है।

दूसरी ओर, रोजगार कार्यालय, जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार चाहने वाले लोगों का भी पंजीकरण करते हैं और उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों के काम चाहने वालों का पंजीकरण करने का प्रावधान है। अकुशल, कुशल, अनपढ़ और पढ़े लिखे काम चाहने वाले लोगों के बारे में सूचना रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में उपलब्ध होती है लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों के पंजीकरण के लिए उपरोक्त कार्यक्रम केन्द्र/राज्य स्तर के प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संगठनों और वित्तीय संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाता है।

Increase in limit of investment by SSIs

2593. SHRI G. SWAMINATHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to increase the limit of Investment on Plant and Machinery by the Small Scale Industries;

(b) if so, what is the proposed enhanced limit; and

(c) by when the new limit is expected to come into operation?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI K. KARUNAKARAN): (a) to (c) A proposal to increase the limit of investment in plant and machinery of small-scale industrial undertakings to Rs. 300 lakhs is being considered by the Government. As this involves examination of various issues, it is not possible to indicate a specific date by which the new limit would come into operation.

Seminar on Train Safety through Signal and Telecommunications System

2594. SHRI E. BALANANDAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a Seminar on Train Safety through Signal and Telecommunications System was held at New Delhi on 3rd May, 1995;

(b) if so, whether any official from the Railway Department had participated in it;

(c) what were the recommendations/suggestions of the Seminar;

(d) whether Government have taken any action on the recommendations;

(e) if so, the details of the action taken; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The main recommendations are as given below:—

Use of modern technical aids like Auxiliary Warning System, Solid State Interlocking, Train Radio Communication between driver, guard and controller, Optic Fibre Cables, Hot Axle Detectors, Track Circuiting on running lines, Electronic Axle Counters, Clamp Locks on Facing Points, Event